जिला परिषद कार्यालय, देवघर

–: नीलामी सूचना :–

जिला परिषद, देवघर द्वारा सत्संग नगर अवस्थित जिला परिषद कार्यालय परिसर स्थित में निर्मित दुकान, रोहिणी मार्केट कॉम्प्लेक्स रोहिणी में निर्मित दुकान, सारठ निरीक्षण भवन स्थित दुकान एवं घोरमारा निरीक्षण भवन परिसर में विवाह भवन –सह– स्टेज, कीचेन एवं टॉयलेट सहित खुली नीलामी के माध्यम से सुरक्षित राशि के साथ मासिक भाड़ा पर आवंटन करने हेतु निम्नांकित विवरणी के अनुरूप नीलामी में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

नीलामी का स्थान – सभाकक्ष, विकास भवन, देवघर।

दुकानों एवं हॉलों की विवरणी :–

(1) सत्संग नगर स्थित जिला परिषद कार्यालय परिसर में नवनिर्मित दुकान :–

क्र0	दुकान / हॉल सं0	निर्धारित सुरक्षित राशि	मासिक भाड़ा	अभ्युक्ति
1	**ब्लॉक "सी" (भूतल)** दुकान संख्या 07 एवं 11 (कुल 02 दुकान)।	1,00,000.00	2200.00	

(2) जिला परिषद, देवघर के कार्यालय परिसर के अहाते में जलपान गृह :–

क्र0	विवरण	निर्धारित सुरक्षित राशि	मासिक भाड़ा	अभ्युक्ति
1	जिला परिषद, देवघर के कार्यालय परिसर के अहाते में जलपान गृह।	1,00,000.00	10,000.00	

(3) रोहिणी मार्केट कॉम्प्लेक्श रोहिणी, में निर्मित दुकान :–

क्र0	दुकान / हॉल सं0	निर्धारित सुरक्षित राशि	मासिक भाड़ा	अभ्युक्ति
1	दुकान संख्या 06 **(भू–तल)**	2,00,000.00	2470.00	
2	दुकान संख्या 08 **(भू–तल)**	1,20,000.00	1280.00	
3	दुकान संख्या 06 **(प्रथम तल)**	1,50,000.00	1160.00	
4	दुकान संख्या 07 एवं 09 (कुल 02 दुकान) **(प्रथम तल)**	1,25,000.00	960.00	
5	दुकान संख्या 8, 11, 13, 14 एवं 17 (कुल 05 दुकान) **(प्रथम तल)**	1,00,000.00	775.00	

(4) सारठ निरीक्षण भवन स्थित निर्मित दुकान :–

क्र0	दुकान / हॉल सं0	निर्धारित सुरक्षित राशि	मासिक भाड़ा	अभ्युक्ति
1	**ब्लॉक "सी." (प्रथम तल)** दुकान संख्या 10 (कुल 01 दुकान)।	25,000.00	700.00	
2	सारठ निरीक्षण भवन स्थित निर्मित हॉल (अन्दर भाग 01)	1,00,000.00	2500.00	

(5) घोरमारा निरीक्षण भवन परिसर में नवनिर्मित विवाह भवन–सह–स्टेज, कीचेन एवं टॉयलेट :–

क्र0	विवरण	निर्धारित सुरक्षित राशि	वार्षिक भाड़ा	अभ्युक्ति
1	घोरमारा निरीक्षण भवन परिसर में नवनिर्मित विवाह भवन–सह –स्टेज, कीचेन एवं टॉयलेट के रख–रखाव तथा अपने स्तर से भाड़े पर लगा कर राजस्व वसूली एवं तीन वर्ष तक भाड़े पर लगाने हेतु नीलामी	2,00,000.00	1,50,000.00	वार्षिक भाड़ा अग्रीम के रूप में देय होगा

(6) देवीपुर प्रखण्ड अर्न्तगत ग्राम सभा मंडप केन्दुआ :–

क्र0	विवरण	निर्धारित सुरक्षित राशि	वार्षिक भाड़ा	अभ्युक्ति
1	देवीपुर प्रखण्ड अर्न्तगत ग्राम सभा मंडप केन्दुआ के रख–रखाव तथा अपने स्तर से भाड़े पर लगा कर राजस्व वसूली एवं तीन वर्ष तक भाड़े पर लगाने हेतु नीलामी **(यथा स्थिति)**	1,00,000.00	50,000.00	वार्षिक भाड़ा अग्रीम के रूप में देय होगा

1. नीलामी के लिए आवेदन–पत्र दुकान का नक्शा सहित जिला अभियन्ता, जिला परिषद, कार्यालय, देवघर से 5000.00 (पांच हजार) रु0 का ड्राफ्ट **उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, देवघर (D.D.C.-CUM-C.E.O., DISTRICT BOARD, DEOGHAR)** के पदनाम पर देय होगा (जो लौटाया नहीं जायेगा) जमा कर **दिनांक 2212.2025 से 31.12.2025** तक कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। जिला परिषद, देवघर से पंजीकृत कर निर्गत किये गये आवेदन पत्र ही स्वीकार्य होगा।

2. आवश्यक प्रविष्टियुक्त आवेदन–पत्र आवश्यक देय राशि (बैंक ड्राफ्ट के रूप में) के साथ **दिनांक 01.01.2026 से 09.01.2026** तक विकास भवन स्थित जिला परिषद कार्यालय, देवघर में कार्यालय अवधि तक जमा लिये जायेंगे तथा नीलामी **दिनांक 10.01.2026 को पूर्वाहन् 11:00 बजे** विकास भवन, देवघर के सभाकक्ष में किया जायेगा।

3. प्रत्येक आवेदक को आवेदन के साथ नीलामी डाक में भाग लेने के लिए न्यूनतम सुरक्षित राशि का न्यूनतम **20% (बीस प्रतिशत) राशि** का (बैंक ड्राफ्ट) **उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, देवघर** के पदनाम से आवेदन के साथ जमा करना आवश्यक होगा।

4. एक दुकान हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर नीलामी के माध्यम से दुकान आवंटित की जायेगी। अधिकतम राशि की बोली बोलने वाले को दुकान आवंटित किया जायेगा। बोली की पुरी राशि (20**%** बीस प्रतिशत) पूर्व के जमा राशि को छोड़कर अगले दिन बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा अन्यथा उनकी सुरक्षित राशि जब्त कर उनसे नीचे बोली बोलनेवाले को दुकान आवंटित कर दिया जायेगा। यदि उनके द्वारा भी उक्त राशि समय पर जमा नहीं की जाती है तो उनकी भी सुरक्षित राशि जब्त कर ली जायेगी तथा दुकान के नीलामी की प्रक्रिया पुनः की जायेगी।

5. निलामी के दौरान न्यूनतम निर्धारित सुरक्षित राशि से अधिक बोली गयी राशि दुकान वापसी के समय लौटाई नहीं जाएगी। दुकान वापसी के समय निर्धारित न्यूनतम सुरक्षित राशि ही वापस की जाएगी।

6. एक दुकान हेतु एक अदद् आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित न्यूनतम सुरक्षित राशि पर दुकान आवंटित किया जायेगा। आवेदक को अवशेष (80**%** अस्सी प्रतिशत) राशि अगले दिन बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा अन्यथा उनका सुरक्षित राशि जब्त कर ली जायेगी तथा दुकान की नीलामी की प्रक्रिया पुनः की जायेगी।

कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, देवघर।

उप विकास आयुक्त –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, देवघर।

ज्ञापांक 955 /जि0प0, देवघर, दिनांक 18 वीं दिसम्बर, 2025 ई0।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। विज्ञापन को तीन समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण में प्रकाशित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई कि जाय।

प्रतिलिपि :– जिला अभियन्ता, जिला परिषद, देवघर अपने अधीनस्थ कनीय अभियन्ता एवं सहायक के साथ अपनी उपस्थिति में नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण करायेंगे।

प्रतिलिपि :– थाना प्रभारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित एवं नीलामी की तिथि **दिनांक 10.01.2026 को पूर्वा0 11:00 बजे** 4–1 का पुलिस बल प्रतिनियुक्त की जाय।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, जिला परिषद, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, देवघर।

उप विकास आयुक्त –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, देवघर।